न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 56/19 (225)

आरसीएमएस संख्या – 2019/00158

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र श्री नत्थी
2. करतारी पत्नी ओमी उर्फ ओमप्रकाश
3. हरीशचन्द पुत्र ओमी उर्फ ओमप्रकाश
4. जितेन्द्र पुत्र ओमी उर्फ ओमप्रकाश
5. डालचन्द पुत्र ओमी उर्फ ओमप्रकाश

जाति जाटव निवासी चितारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मान सिंह पुत्र कजौडी
2. हरी सिंह
3. लालाराम पुत्र घूडे
4. जवाहर पुत्र घूडे

जाति मीणा निवासी चितारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नदबई।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई दिनांक 13.08.2019 प्रकरण संख्या 31/17 उनवान नत्थी बनाम मान सिंह वगै0।

उपस्थित :–

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री पुरूषोत्तम मुदगल अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–26.02.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, नदबई के आदेश दिनांक 13.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर प्रार्थी अपीलाण्ट के गैर मौरूसी के नम्बरान हैं तथा संवत 2009 लगायत 14 तक प्रार्थी अपीलाण्ट के गैर मौरूसी में दर्ज थे, उक्त इन्द्राजात से प्रार्थी अपीलाण्ट को कानूनन खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गये थे, किन्तु अप्रार्थी रैस्पो0 ने साज करके प्रार्थी अपीलाण्ट के इन्द्राजात को गलत तरीके से कलमजन करा दिया। विवादित आराजी बाबत् पूर्व में भी एक दावा नम्बरी 26/55 नत्थी बनाम कजौडी चला जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक 29.10.1957 को प्रार्थी अपीलाण्ट के पक्ष में डिक्री हुआ। जिसमें अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था। परन्तु किन्ही कारणो से उक्त डिक्री का अमल राजस्व अभिलेख में नहीं हो सका। अतः विवादित आराजी पर अप्रार्थी रैस्पो0 के ही नाम दर्ज हैं। उक्त इन्द्राजो की आड में आये दिन अप्रार्थी रैस्पो0 विवादित आराजी से प्रार्थी अपीलाण्ट को बेदखल करने एवं दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में विवादित आराजी पर नत्थी की गैर मौरूसी इन्द्राजो को माना है परन्तु विवादित आराजी खसरा नम्बरान के बन्दोबस्त विभाग द्वारा संवत 2028 एवं 2060 के पूर्व में साविक खसरा नम्बरान बाबत् मिलान क्षेत्रफल में दर्ज खसरा नम्बरो में रकवो का मिलान नहीं होना अंकित करते हुये, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया गया है। जबकि साविक नम्बरो में नत्थी की गैर मौरूसी दर्ज होने से भरतपुर राजस्व कोड के अनुसार जो संवत 2012 तक प्रभाव में था जैसे ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ भरतपुर में राजस्व कोड प्रभाव में नहीं रहा। भरतपुर राजस्व कोड के मुताबिक जो व्यक्ति संवत 2012 में गैर मौरूसी दर्ज था वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय गैर मौरूसी होने के कारण खातेदार के बराबर अधिकार मानते हुये खातेदारी प्रदान कर दी गयी। परन्तु अपीलाण्ट के पिता व बाबा को खातेदार दर्ज ना करते हुये रैस्पो0 के पिता को खुद मालिक दर्ज कर दिया जबकि उनको ना तो खातेदार दर्ज किया ना गैर खातेदार दर्ज किया ना ही शिकमी दर्ज किया तो किस आधार पर खुदकाश्त व मालिक दर्ज किया क्योंकि संवत 2012 में कजौडी व घूडे ना तो मालिक दर्ज थे और ना ही उनकी कोई खुदकाश्त दर्ज थी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मिलान क्षेत्रफल को तो सही माना है परन्तु मिलान क्षेत्रफल के अनुसार रकवा संवत 2028 व 2060 में भिन्न होने के कारण अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है वह किसी प्रकार विधिपूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि भरतपुर जिलें मे नदबई तहसील को छोडकर 132 फुट की जरीब होती है नदबई तहसील में 165 फुट की जरीब है। इस प्रकार नदबई में 25 विस्वा का 01 बीघा जबकि अन्य तहसीलो में 20 विस्वा का 01 बीघा होता है। इसलिये उक्त अन्तर को देखते हुये संवत 2028 व संवत 2060 में रकवा भिन्नत्ता आना स्वभाविक है। इस तथ्य पर गौर ना करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2002 पेज 300, 2015 पेज 210, 1997 पेज 235 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी के संबंध में दो दावे इन्हीं पक्षकारो के मध्य निर्णित हो चुके हैं। अतः प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलाण्ट ने स्वयं सिविल कोर्ट में दावा नत्थी बनाम मान सिंह तय होना बताया है तो फिर उनके द्वारा डिक्री की इजराय आदिनांक तक क्यों नहीं करायी। लगभग 70 साल बाद पुनः दावा किया है। दूसरा दावा मान सिंह बनाम नत्थी हुआ जो दिनांक 15.05.1980 को निर्णित हुआ। इस प्रकार दोनों दावे निर्णित हो चुके हैं अपीलाण्ट को पुनः दावा लाना विधि से वर्जित है। मिलान क्षेत्रफल से भी रकवाा का मिलान नहीं होता है तो अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय मौरूसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होगें ना कि गैर मौरूसी को, अपीलाण्ट के पूर्व पुरूषो का विवादित आराजी पर ना तो पूर्व में कब्जा था एवं ना ही वर्तमान में ही कब्जा काश्त है। रैस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं रैस्पो0 का ही विवादित आराजी पर 50 वर्षो से कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा विचाराधीन है जिसमें पक्षकारो के स्वत्व का निर्धारण होगा। एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपीलाण्ट के न्यायिक दृष्टान्त गैर मौरूसी पर नहीं है अतः प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2021(1) पेज 1238, आरआरडी 1986 पेज 6 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि विवादित आराजी में पक्षकारो के अधिकार व स्वत्व का निर्धारण मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होगें। दौराने बहस अभिभाषक रैस्पो0 की यह आपत्ति की प्रकरण में विवादित आराजी के संबंध में इन्ही पक्षकारो के मध्य पूर्व में दो दावे चले एवं निर्णित हो चुके हैं अतः प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागू होता है बाबत् तथ्य का निराकरण भी मूल दावे में ही तय होगा। फिलहाज प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में रेसज्यूडिकेटा का प्रभाव कोई मान्य नहीं रखता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह माना है कि अपीलाण्ट के पूर्वज के विवादित आराजी पर संवत 2009 लगायत 2014 तक वतौर गैर मौरूसी के इन्द्राज रहे हैं। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बरान के बन्दोबस्त संवत 2028 के पूर्व के साविक खसरा नम्बराान बाबत् प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 एवं जमाबन्दी संवत 2013 से 2016 तक में दर्ज खसरा नम्बरो में रकवा का मिलान नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रकवा का मिलान ना होने से रैस्पो0 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की विवेचना में, कि रकवा का मिलान नहीं होता है में, खसरा नम्बरो का मिलान होना , मूक दर्शित है। चूंकि अपीलाण्ट के पूर्वज पूर्व में विवादित आराजी पर गैर मौरूसी दर्ज रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में बनना सावित है। यदि दौराने वाद विवादित आराजी की सुरक्षा नहीं की गयी, तो दौराने वाद विवादित आराजी के खुर्द–बुर्द होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता एवं यदि ऐसा हुआ तो अपूर्णनीय क्षति भी अपीलण्ट को ही होगी। इस प्रकार विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी की यथास्थिति सुविधा संतुलन को पुष्ट करती है। अतः हम दौराने वाद विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2019 अपास्त किये जाकर, ताफैसला मूल वाद, वादपत्र में अंकित विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रैस्पो0 को पाबन्द किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.02.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर